programmes which will be produced and telecast by Doordarshan Kendra, Patna when commissioned into service.

On implementation of all the schemes mentioned above the number of villages in Uttar Pradesh and Bihar receiving national and regionaMocal TV programmes is expected to increase considerably. Many of these schemes are expected to be completed during the 7th Plan period itself.

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1966

1196.**श्री अजीत जोगी:**
ठाकुर जगतपाल सिंह:

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अपने घरों में बीड़ी बनाने वाले कर्मकारों को बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम, 1966 बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 और बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में कोई नई पहल की जा रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बीड़ी निर्माताओं द्वारा अपने बीड़ी कर्मकारों को पहचान पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं जो उपर्युक्त अधिनियमों के उपबंधों के विपरीत है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पहल की जा रही है?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा कृष्ण मालवीय): (क) और (ख) बीड़ी और कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अधीन अनेक लाभ उस कर्मकार को भी देय हैं जिसे घर पर बीड़ी बनाने के लिए नियोक्ता या ठेकेदार द्वारा कच्चा माल दिया जाता है अर्थात जिसे घरेलु कर्मकार कहा जा सकता है। तथापि यह अधिनियम अपने निजी घरों में स्व-नियोजित व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। इस अधिनियम को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन लाभ उस व्यक्ति को भी उपलब्ध है जिसे घर पर बीड़ी बनाने के लिए नियोक्ता या ठेकेदार द्वारा कच्चा माल दिया जाता है। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 उपकर के रूप में विनिर्मित बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क लगाने तथा इसे एकत्र करने की व्यवस्था के लिए बनाया गया है। इन दोनों अधिनियमों का कार्यान्वयन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) सामान्यतः नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार नियोक्ता अपने बीड़ी कर्मकारों को पहचान पत्र जारी नहीं करते हैं। अतः पहले यह निर्णय किया गया है कि पहचान पत्र जारी करने तथा बीड़ी कर्मकारों को कल्याण सुविधाएं मुहैया कराने के लिए स्थानीय निकायों के कार्यपालक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए पहचान पत्रों को भी स्वीकार करने के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 को लागू करने वाले श्रम कल्याण संगठन के अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाय।

श्रम कल्याण निधि कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 के तहत बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 को संशोधित किया गया है ताकि पहचान पत्र जारी करने से संबंधित कतिपय उपबंधों का उल्लंघन किए जाने पर 2000/- रु० तक के जुर्माने की व्यवस्था की जा सके।

बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक 3-12-87 को राज्य सभा में पेश किया गया है।

श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध

1197. **श्री अजीत जोगी:**
ठाकुर जगतपाल सिंह:

क्या **श्रम** मंत्री 11 मार्च, 1988 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 257 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम विभाग के ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने और अतिरिक्त श्रम निरीक्षकों की नियुक्तियों को विनियमित करने के लिए गठित किये गये कार्यकारी दल का प्रतिवेदन अब प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम कानूनों को और अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार द्वारा और क्या-क्या नयी पहल की जा रही है?